हरिभूमि

सरगुजा-कोरिया भूमि

बिलासपुर, मंगलवार, 25 मार्च 2025

अम्बिकापुर | सूरजपुर | बलरामपुर | विश्रामपुर | लखनपुर | रामानुजगंज

तापमान

अधिकतम 34 डिग्री

न्यूनतम 21 डिग्री

4 मूल्यांकन के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने ट्रक से भेजी 58 बोरी उत्तरपुस्तिकाएं

बवासीर का आधुनिक इलाज
अत्याधुनिक लेजर मशीन द्वारा
भर्ती की आवश्यकता नहीं
मरीज सुबह आकर शाम को घर जा सकता है
स्व. डॉ. सत्यप्रकाश गुप्ता मेमोरियल हॉस्पिटल लायंस चौक, चाम्पा
गुप्ता हॉस्पिटल
डॉ. शुभम् गुप्ता
गुदा रोग विशेषज्ञ
संपर्क करें
7400009183

पिछड़ गया मार्च 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाने का अभियान

हरिभूमि न्यूज ⏭ अम्बिकापुर

सोमवार को देशभर में विश्व टीबी दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान शासकीय अस्पतालों में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कर खाना पूर्ति तो कर ली गई लेकिन इस बीमारी से लड़ने के लिए शासन प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के पास कोई ठोस रणनीति नजर नहीं आ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि की शासन का देश को 24 मार्च 2025 तक टीबी मुक्त करने का वादा पूरा नहीं हो पाया। देशभर में टीबी के मरीजों की संख्या में कमी आई है लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में टीबी के मरीज मौजूद है। वहीं छत्तीसगढ़ और सरगुजा जिले की बात की जाए तो पिछले कुछ वर्षों में टीबी के मरीजों की संख्या में वृद्धि देखी गई है।

- दावे के विपरीत अब भी मिल रहे बड़ी संख्या में मरीज, उपकरणों और मानव संसाधन की कमी सबसे बड़ी समस्या

बता दें कि टीबी एक गंभीर और जानलेवा बीमारी है। यह एक संक्रामक बीमारी है और जिन मरीजों की बलगम जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है वो अपने आस पास लोगों को टीबी फैला रहे है। यही वजह है कि क्षय रोग को भारत सरकार ने भी गंभीरता से लिया है। भारत सरकार द्वारा भारत को 24 मार्च 2025 तक क्षय मुक्त करने का लक्ष्य देकर अभियान चलाया गया लेकिन वर्तमान स्थिति में क्षय मुक्त भारत या क्षय मुक्त सरगुजा, छत्तीसगढ़ के दावे और वादे कितने सही साबित हुए यह इन आंकड़ों से लगाया जा सकता है। टीबी मुक्त होने के लिए एक लाख की आबादी में 100 से कम मरीज होने चाहिए लेकिन वर्तमान स्थिति में 1 लाख की जनसंख्या 170 से अधिक है इस लिए देश या भी सरगुजा टीबी मुक्त होता नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ सरगुजा जिले की बात की जाए तो यहां एक साल में 1769 क्षय रोग के मरीज सामने आए है जबकि मौत का आंकडा भी 1 प्रतिशत से अधिक है। सरगुजा में कई ऐसे केस सामने आए जिसमें टीबी के कारण 20 से 30 वर्ष के युवाओं को अप्रत्याशित रूप से अपनी जान गवानी पड़ी। वर्तमान में सरगुजा जिले में ही टीबी मरीजों की मृत्यु दर 3 प्रतिशत है जो काफी चिंताजनक है। इसी तरह वर्तमान में अभी तक सरगुजा जिले में सिर्फ 151 ग्राम पंचायत ही टीबी मुक्त सिल्वर क्वालीफाई की श्रेणी में शामिल हो पाए है। इससे पहले वर्ष 2023 में 222 ग्राम पंचायत टीबी मुक्त की श्रेणी में शामिल हुए और 2024 में 254 ग्राम पंचायत टीबी मुक्त हुए लेकिन बाद में इनमें से शेष ग्राम पंचायतों में या तो टीबी के नए मरीज मिल गये या फिर मरीज की मौत हो गई। ऐसे में फिलहाल जिले में सिर्फ 151 ग्राम पंचायत ही टीबी मुक्त है।

संसाधनों की कमी

टीबी मरीजों की पहचान और उपचार को लेकर तो सालभर अभियान चलाया जा रहा है लेकिन इसके बावजूद टीबी के मरीजों की संख्या में कमी नहीं आ रही है। इसका प्रमुख कारण संसाधनों की कमी है। टीबी के मरीजों के जांच हेतु अब संभाग में सीबी नॉट, टू नॉट, डीजीटल पोर्टेबल एक्स रे मशीन के साथ ही पैथोडिटेक्टर मशीन भी उपलब्ध है लेकिन इसके बाद लेकिन ये संसाधन भी कम ही साबित हो रहे है। ऐसा इस लिए क्यों कि इन उपकरणों की सुविधा जिला स्तर पर है और दूरस्थ क्षेत्रों के मरीजों को जांच के लिए यहां आना पड़ता है। सिर्फ जिले में भी 200 से अधिक स्वास्थ्य केंद्र है और इसमें से कम से कम 30 पीएचसी है जबकि सीबी नॉट और टू नॉट मशीन की सुविधा सिर्फ 10 अस्पतालों में हो पाई है। मशीनों को विकासखंड के स्वास्थ्य केन्द्रों में रखकर खाना पूर्ति की जा रही है। इसके साथ ही इस अभियान के लिए सबसे बड़ी जरुरत मानव संसाधन की है जो नाकाफी है। जिले की आबादी ही 10 लाख से अधिक है और इतनी बड़ी आबादी के लिए चंद अधिकारी कर्मचारियों की टीम है जो सही तरीके से गांव तक भी नहीं पहुंच पा रहे है जबकि इस अभियान के लिए भी पल्स पोलियों अभियान की तरह जिलेभर से लोगों की टीम लगाकर उपकरणों के साथ अभियान चलाया जाना चाहिए था।

वैक्सीनेशन का अभियान भी ठंडा

बता दें कि टीबी जैसी बीमारी से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा टीबी वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की गई थी जिसके तहत लोगों को इस बीमारी से बचाव के लिए टीका लगाया जाना था लेकिन यह अभियान भी बाकी अभियानों की तरह ही ठंडा पड़ गया है। इसी तरह निक्षय निरामय 100 दिवसीय अभियान के तहत उच्च जोखिम के बुजुर्गों, मरीजों के बलगम जांच का लक्ष्य रखा गया था जो अब तक 50 प्रतिशत भी पूर्ण नहीं हो पाया है।

कुपोषण से लड़ना चुनौती

टीबी के मामले में कुपोषण भी एक बड़ा फैक्ट्रर है। टीबी के मरीजों को कुपोषण की समस्या भी होती है और इससे निपटने के लिए शासन द्वारा पोषण आहार हेतु राशि दी जाती है। नवम्बर 2024 से इस राशी को बढ़ाकर 1 हजार रूपए किया गया है लेकिन यह राशि भी नाकाफी है। कुपोषण से लड़ने के लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई है जिससे मरीजों की सेहत में सुधार हो सके। इसके साथ ही कुपोषण के कारण भी लोग टीबी के मरीज बन रहे है।

जागरूकता की कमी

टीबी से लड़ने में सबसे बड़ी समस्या जागरूकता की कमी है। चिकित्सकों का कहना है कि एक टीबी का मरीज न्यूनतम वर्ष भर में दस लोगों को टीबी का मरीज बनाता है लेकिन गांव में नियमित खांसी की समस्या होने पर भी लोग बलगम जांच कराने के लिए नहीं जाते है। इसके साथ ही आदिवासी क्षेत्र के लोगों की जीवनशैली शराब, गुटका, तम्बाकू रचा बसा है जो टीबी का एक बड़ा कारक है। शराब, तम्बाकू, सिगरेट पीने वालों को टीबी की बीमारी की संभावना बढ़ जाती है।

खबर संक्षेप

जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक कल

बलरामपुर। कलेक्टर राजेंद्र कटारा की अध्यक्षता एवं पुलिस अधीक्षक बैंकर वैभव रमनलाल की उपस्थिति में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक 26 मार्च को समय-सीमा की बैठक पश्चात आहूत की गई है। कलेक्टर श्री कटारा ने बैठक में संबंधित सदस्यों एवं विभागों के अधिकारियों को समय पर उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं।

ट्रक ने स्कॉर्पियो वाहन को मारी टक्कर, अपराध दर्ज

अंबिकापुर। दरिमा थाना के ग्राम खाला निवासी 39 वर्षीय मनोज सिंह आ. राम बिलास सिंह 21 मार्च को अपने स्कॉर्पियो वाहंक क्रमांक सीजी 15 बी 6288 से अपने घर खाला जा रहा था। युवक स्वयं वाहन चला रहा था जबकि वाहन में अन्य लोग भी सवार थे। इस दौरान जैसे ही मनोज सिंह डिहिलोक्स पब्लिक स्कूल के पास पहुंचा उसी समय तेज रफ्तार ट्रक क्रमांक सीजी 15 एसी 5062 के चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए स्कॉर्पियो को टक्कर मार दी। इस घटना में वाहन सवार मुन्नी देवी, केन्दी, गुलाबी सिंह को चोट आई है जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले में युवक की शिकायत पर पुलिस ने बीएनएस की धारा 125(ए), 281 के तहत अपराध दर्ज किया है।

निर्माणाधीन मकान से सबमर्सिबल पम्प चोरी

अंबिकापुर। ट्रांसपोर्टिंग का काम करने वाले अमित कुमार गुप्ता आ. स्व. शिव शंकर प्रसाद द्वारा ग्राम चठिरमा में मकान का निर्माण कराया जा रहा है। मकान निर्माण हेतु मकान के बगल में पानी हेतु बोर कराया गया है। 22 मार्च को मकान निर्माण का कार्य बंद था। युवक द्वारा मकान की देखरेख हेतु देवेन्द्र नाम के लड़के को रखा गया है। शाम को देवेन्द्र ने देखा तो बोर में समर्सिबल पम्प, स्टार्टर, केबल मौजूद था जब रात को 10 बजे युवक ने देखा तो बोर का पाईप बाहर पड़ा था व बोर का समर्सिबल पम्प, स्टार्टर, केबल नहीं था। अज्ञात लोगों नेसबमर्सिबल पम्प व अन्य सामानों की चोरी कर ली। युवक की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ बीएनएस की धारा 303(2) के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।

शासन से मिली स्वीकृति, ननि की पहली एमआईसी में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

ननि करेगा महामाया कॉरिडोर गणपति धाम के गेट का निर्माण

हरिभूमि न्यूज ⏭ अम्बिकापुर

सोमवार को नगर निगम की नई सरकार की पहली एमआईसी बैठक का आयोजन किया गया। महापौर श्रीमती मंजूषा भगत समेत परिषद के सदस्यों की मौजूदगी में शहर के विकास हेतु अनेकों निर्णय लिए गए है। नगर निगम द्वारा 15 करोड़ की लागत से भव्य महामाया कॉरिडोर, 12 लाख रूपए से गणपति धाम के गेट का निर्माण कराया जाएगा। इसके साथ ही जर्जर हो चुके राजमोहिनीदेवी भवन को गिराकर नए सिरे से वातानुकूलित 1 हजार सीटर ऑडिटोरियम का निर्माण कराया जाएगा। इस भवन निर्माण हेतु शासन से 20 करोड़ रूपए की स्वीकृति प्रदान की गई है।

खास बात

- राजमोहिनी देवी भवन के स्थान पर होगा 1 हजार सीटर ऑडिटोरियम का निर्माण

बता दें कि नगर निगम की नई सरकार के सत्ता में आने के बाद नगर की पहली महिला महापौर श्रीमती मंजूषा भगत द्वारा सोमवार को एमआईसी की बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में नव नियुक्त एमआईसी सदस्यों की मौजूदगी में 21 बिंदुओं पर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान महापौर श्रीमती भगत ने बताया कि नगर निगम की नई सरकार द्वारा शहर के विकास के लिए कार्य किया जाएगा। इस दौरान लोगों की सुविधाओं, श्रद्धा को ध्यान में रखकर निर्माण कार्य कराए जाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि शहर के महामाया पहाड़ पर स्थित गणपति धाम के लिए प्रवेश द्वार का निर्माण कराया जाएगा इस हेतु 12 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। वहीं मां महामाया मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र है। नवरात्री व त्यौहारों के समय महामाया मंदिर में दर्शन के लिए लोगों की कतारे लग जाती है और लोगों को धूप में खड़ा होना पड़ता है। ऐसे में नगर निगम द्वारा महामाया मंदिर के लिए भव्य कॉरिडोर का निर्माण कराया जाएगा जिसमें शेड की व्यवस्था होगी। नगर निगम सिंचाई विभाग से बात कर बंद पड़े नहर के ऊपर पार्किंग हेतु निर्माण कार्य कराएगा। कोरिडोर निर्माण हेतु नगर निगम को 15 करोड़ रूपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। वहीं उन्होंने बताया कि शहर के जर्जर हो चुके राजमोहिनीदेवी भवन को हटाकर उसके स्थान पर 1 हजार सीटर ऑडिटोरियम निर्माण हेतु शासन से स्वीकृति मिली है। शासन से 20 करोड़ रूपए की राशि स्वीकृत की गई है जिससे निर्माण कार्य कराया जाएगा। इस दौरान नगर निगम आयुक्त डीएन कश्यप, एमआईसी सदस्य मनीष सिंह, जितेन्द्र सोनी, श्रीमती ममता तिवारी, श्रीमती अनिता रविन्द्रगुप्त भारती, सुशांत घोष, श्रीमती प्रियंका विकास गुप्ता, विपिन कुमार पाण्डेय, रविकांत उरांव, श्रीमती स्वेता गुप्ता, विशाल गोस्वामी सहित अन्य मौजूद थे।

एमआईसी में चर्चा करते महापौर व परिषद के सदस्य।

बंद किया जाएगा गार्बेज कैफे

नगर निगम को स्वच्छता प्रबंधन के मामले में देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पहचान दिलाने वाले गार्बेज कैफे को नगर निगम ने बंद करने का निर्णय लिया है। बैठक के दौरान प्रस्ताव दिया गया कि प्रतीक्षा बस स्टैंड में यात्रियों की सुविधाओं, दुकानों की व्यवस्था की जानी है। इस दौरान मेयर श्रीमती भगत, लोनिवि प्रभारी मनीष सिंह सहित अन्य ने कहा कि पिछली सरकार द्वारा गार्बेज कैफे की स्थापना दिखावे के लिए की गई थी और वर्तमान में इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। कोई भी व्यक्ति यहां प्लास्टिक लेकर नहीं आता है। इस लिए यात्रियों की सुविधाओं के लिए नगर निगम की एमआईसी ने इसे बंद करने का निर्णय लिया है।

आवारा मवेशियों पर करें कार्रवाई

बैठक के दौरान शहर में आवारा मवेशियों की समस्या पर चर्चा की गई। इस दौरान मेयर श्रीमती भगत ने कहा कि पशु मालिकों को समझाइश दी जाए और इसके बाद मवेशियों को काऊ कैचर के माध्यम से पकड़कर गौठान में रखा जाए। इसके साथ ही बैठक में उन्होंने कहा कि शहर के ज्यादातर वाटर एटीएम बंद पड़े हुए है। उन्होंने अधिकारीयों से कहा कि जल्द से जल्द कंपनी से चर्चा कर सभी वाटर एटीएम को चालु कराया जाए ताकि गर्मी के समय लोगों को राहत मिल सके।

3 करोड़ से होगा मांगलिक भवन का निर्माण

मेयर श्रीमती भगत ने बताया कि नगर निगम में एक नए मांगलिक भवन के निर्माण हेतु शासन से तीन करोड़ की स्वीकृति मिली है। उन्होंने कहा कि मांगलिक भवन का उपयोग ऊपर किया जाएगा और नीचे दुकानें निकाली जाएंगी ताकि उससे नगर निगम को आमदनी हो सके। वहीं बड़े शहरों की तर्ज पर ट्रैफिक सिग्नल में गर्मी, बारिश से लोगों को राहत देने के लिए शेड का निर्माण कराया जाना है। इस हेतु प्रयोग के तौर पर गांधी चौक के ट्रैफिक सिग्नल का चयन किया गया है।

ननि करेगा दवाओं की खरीदी

बैठक के दौरान नगर निगम में मच्छरों से बचाव के लिए उपाय पर चर्चा की गई। इस दौरान उन्होंने बताया कि मच्छर नियंत्रण हेतु 200 लीटर डेल्टामेथ्रिन 1.25 युएलव्ही, वेक्टर जनित रोगों के नियंत्रण हेतु 600 लीटर टेमीफास की खरीदी की जाएगी। इसके साथ ही बैठक में वित्तीय वर्ष का बजट प्रस्तुत करने, 100 अतिरिक्त प्लेसमेंट कर्मचारियों की भर्ती, ट्रैफिक सिग्नल के स्थापना, संचालन, विज्ञापन, संधारण सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई।

शॉपिंग मॉल में कमरा दिलाने के नाम पर 12 लाख की ठगी, आरोपी गिरफ्तार

हरिभूमि न्यूज ⏭ अम्बिकापुर

शॉपिंग मॉल में कमरा दिलाने के नाम पर 12 लाख 35 हजार रूपए की ठगी करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ठगी की रकम से कार खरीदकर घूम रहा था। पुलिस ने आरोपी से ठगी की रकम से खरीदी गई कार को भी जब्त किया गया है।

मणिपुर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार नमनाकला रिंग रोड निवासी अशोक गुप्ता द्वारा रिंग रोड में लक्ष्मी होटल का संचालन किया जाता है। अशोक गुप्ता के अनुसार बिलासपुर मंगला बिहार ग्रीन गार्डन कॉलोनी शुभम बिहार निवासी रासपाल सिंह बागड़िया वर्ष 2022 में होटल में आकर रुका था। इस दौरान लम्बे समय तक होटल में रुकने के कारण रासपाल सिंह बागड़िया से उसकी जान पहचान हो गई थी। इस दौरान आरोपी रासपाल सिंह बागड़िया ने अशोक गुप्ता को देवीगंज रोड में जमीन का एग्रीमेंट कागज और साईड का नक्शा दिखा कर एक शॉपिंग मॉल बनवाने की बात कही और उसमें अशोक गुप्ता को दो कमरा देने का वादा किया। इस दौरान शॉपिंग मॉल निर्माण में कुछ रुपए कम पड़ने का हवाला देकर अशोक गुप्ता से तीन किस्तों में कुल 14 लाख 35 हजार रूपए लिया था और गारंटी के रूप में आईडीएफसी बैंक का चेक भी दिया था लेकिन शॉपिंग मॉल का निर्माण नहीं हुआ जिसके बाद अशोक गुप्ता अपने रूपए वापस मांग रहा था। इस दौरान आरोपी ने महज 2 लाख रूपए ही लौटाए जबकि शेष 12 लाख 35 हजार रुपए देने से मना कर दिया। इस मामले में युवक की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भादवि की धारा 420 के तहत अपराध दर्ज किया था। इस मामले में जांच उपरान्त पुलिस ने बिलासपुर मंगला बिहार ग्रीम गार्डन शुभम कालोनी निवासी 50 वर्षीय रासपाल सिंह बागडिया आ. सुरता सिंह बाग़ड़िया को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और ठगी की रकम से सियाज कार खरीदने की बात कही। पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने के साथ ही उससे मारूती सुजूकी कंपनी का सियाज कार क्रमांक सीजी 27 एम 2597 एवं 1 नग मोबाईल कुल किमती मशरुका लगभग 12 लाख रुपए जब्त किया है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी मणिपुर अखिलेश सिंह, सउनि शौकी लाल राज, प्रधान आरक्षक सतीश सिंह, उमाशंकर साहू, कुश सोनी ,सुरेश गुप्ता सक्रिय रहे।

- ठगी की रकम से खरीद लिया था कार, पुलिस ने किया जब्त

4.16 लाख रूपए के इंजेक्शन समेत दो गिरफ्तार, कार में बैठकर कर रहे थे ग्राहक का इंतजार

अंबिकापुर। नशे के कारोबार के खिलाफ चलाए गए अभियान में पुलिस ने सफलता हासिल की है। पुलिस ने अल्टो कार से नशीला इंजेक्शन लेकर ग्राहक का इंतजार कर रहे नाबालिग समेत 2 आरोपियों को पकड़ने के साथ ही उनके पास से 520 नग प्रतिबंधित नशीला इंजेक्शन बरामद किया है जिसकी कुल कीमत 4 लाख 16 हजार रुपए है। कोतवाली पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 22 मार्च को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दो युवक सफेद रंग की अल्टो कार क्रमांक सीजी 15 बी 7602 की डिक्की में नशीला इंजेक्शन रखकर ग्राहक का इंतजार कर रहे है। सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा संजय पार्क के पास घेराबंदी कर कार की तलाशी ली गई। कार में एक विधि से संघर्षरत बालक समेत राजपुर कमारी के भदार निवासी 21 वर्षीय समीर अली आ.उमरूद्दीन को हिरासत में लेकर उनके कार की तलाशी ली। इस दौरान कार की डिक्की में रखे सफ़ल झोला से 520 नग प्रतिबंधित नशीला इंजेक्शन बरामद किया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने नशीला इंजेक्शन को अंबिकापुर से ही खरीदकर जगह जगह बिक्री करने करते हुए बचे हुए इंजेक्शन को राजपुर भदार लेकर जाने और बिक्री करने की बात स्वीकार की। पुलिस ने मामले में नाबालिग व आरोपी को धारा 21(सी) एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार करने के साथ ही कार को जब्त कर लिया है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी कोतवाली मनीष सिंह परिहार, सउनि देवनारायण यादव, प्रधान आरक्षक छत्रपाल सिंह, आरक्षक विवेक राय, नितिन सिन्हा, दीपक दास, शिव राजवाड़े, मंटू गुप्ता, संजीव पाण्डेय, लाल बाबू सिंह, सैनिक संतोष पटेल सक्रिय रहे।

लॉटरी के नाम पर ठगी करने वाला आरोपी 9 साल बाद गिरफ्तार, यूपी के झांसी से पकड़ा गया आरोपी

राजपुर। ग्रामीणों को लॉटरी लगने के नाम पर ठगी करने के मामले में 9 वर्षों से फरार आरोपी को पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल की है। आरोपी 1 लाख 85 हजार रुपए से अधिक की ठगी करने के मामले में फरार चल रहा था। पुलिस ने आरोपी को यूपी से गिरफ्तार किया है। बता दें कि थाना के बरियों चौकी अंतर्गत ग्राम खुखरी निवासी मनोज कुमार यादव द्वारा वर्ष 2016 में यह शिकायत दर्ज कराई गई थी कि आरोपियों द्वारा उन्हें लॉटरी जीतने के नाम पर झांसा देकर कई बार में 1 लाख 85 हजार 8 सौ रुपए की ठगी की गई। ठगी के मामले में पुलिस द्वारा भादवि की धारा 420, 120 बी, 34 के तहत अपराध दर्ज कर मामले की जांच की गई और जांच के दौरान बैंक खाते का स्टेटमेंट एवं अन्य तकनीकी सहयोग से मोबाईल नम्बर 95169-98093, 73094-20233 के आधार पर पूर्व में संगीता इनवर्ती को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था जबकि इस प्रकरण में अन्य आरोपी गोलू अहिरवार फरार हो गया था और विगत 9 वर्षों से उसकी तलाश की जा रही थी। इस दौरान एसपी वैभव बैंकर के निर्देश पर फरार आरोपियों की तलाश हेतु विशेष टीम का गठन किया गया था। इस दौरान एएसपी विश्वदीपक त्रिपाठी, एसडीओपी ईमानुएल लकड़ा के नेतृत्व जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी के यूपी के झांसी में होने की जानकारी मिली जिसके बाद पुलिस टीम द्वारा यूपी के झांसी में घेराबंदी कर झांसी मउरानीपुर गांधीगंज मोहल्ला निवासी 30 वर्षीय गोली अह्विार आ. मनोज अहिरवार को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इस कार्रवाई में चौकी प्रभारी बरियो सुभाष कुजूर, सउनि कृष्णानंद सिंह, प्रधान आरक्षक ईश्वर प्रताप सिंह, आरक्षक रंजीत गुप्ता का विशेष योगदान रहा।

रमज़ान मुबारक
चौबीसवां रोज़ा
आज का इफ्तार - 6.13 बजे
कल की सेहरी - 4.32 बजे

महिला से जमीन बिक्री कर धोखाधड़ी करने का मामला, लम्बे समय हो रही थी तलाश

अंश बिल्डर्स का संचालक चढ़ा पुलिस के हत्थे, छिपा था जौनपुर में

हरिभूमि न्यूज ⏭ राजपुर

पुलिस ने अंश बिल्डर्स के संचालक को गिरफ्तार करने में सफतला हासिल की है। अंश बिल्डर्स का संचालक पंकज सिंह महिला के साथ जमीन की धोखा धड़ी करने और बेचीं हुई जमीन की रजिस्ट्री दूसरे के नाम करने के मामले में फरार चल रहा था। पुलिस ने यूपी के जौनपुर से घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस को भी दो दिनों तक जौनपुर में भेस बदलकर रहना पडा। पुलिस ने मामले में कुल दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया है।

बता दें कि अंबिकापुर कोतवाली थाना अंतर्गत प्रतापपुर नाका निवासी आभा सिंह पति राजनारायण सिंह द्वारा राजपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी कि ग्राम बदौली निवासी राजधन यादव व अंश बिल्डर्स के संचालक पंकज सिंह उर्फ जगदीश सिंह द्वारा खसरा नम्बर 423/5, 438/4, 440/4, 441/4, 469/4, 483/4 रकबा क्रमशः 0.101, 0.270, 0.048, 0.102, 0.211, 0.356 का रजिस्ट्री कराया था। आरोपियों द्वारा लगभग 3 एकड़ भूमि के लिए 21 लाख रूपए में बिक्री की थी लेकिन रजिस्ट्री के दौरान पंकज सिंह और राजधन यादव द्वारा आपत्ति दर्ज कराने के साथ ही रजिस्ट्री नहीं होने दिया गया और फिर बाद में उक्त जमीन को छलपूर्वक 4 लाख 90 हजार रूपए में बाबूलाल को रजिस्ट्री एग्रीमेंट कर दिया गया था। अपने साथ हुए धोखाधड़ी की शिकायत महिला ने 26 अप्रैल 2024 को पुलिस से की थी जिसपर पुलिस द्वारा भादवि की धारा 420 के तहत अपराध दर्ज किया गया था। घटना के बाद से ही आरोपी फरार हो गए थे जिनकी तलाश जारी थी। इस दौरान आईजी अंकित गर्ग व एसपी वैभव बैंकर ने लम्बी अपराधों की समीक्षा के दौरान फरार आरोपियों की गिरफ्तारी करने के निर्देश दी थे। इस दौरान पुनः एएसपी विश्वदीपक त्रिपाठी, एसडीओपी कुसमी इमानुएल लकड़ा के नेतृत्व में थाना प्रभारी कुमार चन्दन सिंह द्वारा मामले की जांच की जा रही थी। इस दौरान तकनिकी मदद व सैकड़ो वाहनों के सम्बन्ध में जानकारी निकालने के बाद मुखबिर से मिली की आरोपी पंकज सिंह के खिलाफ सरगुजा रेंज के कई थानों में अपराध दर्ज है और वह वर्तमान में लुक छिपकर यूपी के जौनपुर क्षेत्र के ग्राम धनियामऊ में छिपा हुआ है। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए रवाना हुई जहां पुलिस टीम ने भेष बदलकर आरोपी आरोपियों की रेकी की। इस दौरान पुलिस ने जौनपुर के धनियामउ से आरोपी पंकज सिंह और राजधन यादव को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने मामले में मूलतः अंबिकापुर गांधीनगर थाना अंतर्गत ठाकुरपुर बरसाना रेसीड़ेंसी व हाल मुकाम जौनपुर नरेंद्रपुर सरपतहा निवासी अंश बिल्डर्स के संचालक 50 वर्षीय पंकज सिंह उर्फ जगदीश सिंह आ. राज बहादुर सिंह व राजपुर के बदौली निवासी 52 वर्षीय राजधन यादव आ. स्व. बदरी प्रसाद यादव को भादवि क धारा 420, 467, 468, 471, 34 के तहत गिरफ्तार किया है। कार्रवाई में थाना प्रभारी कुमार चन्दन सिंह, उनि दिनेश राजवाडे, प्रधान आरक्षक रिंकू गुप्ता, आरक्षक अमृत सिंह, लखेश्वर पैकर, सायबर सेल बलरामपुर आकाश तिवारी, मंगल सिंह सक्रिय रहे।

ग्राहक सेवा केंद्र से युवक का मोबाइल चोरी, अपराध दर्ज

अंबिकापुर। सूरजपुर जिले के चंदौरा थाना अंतर्गत ग्राम रेवटी निवासी राजू कुमार देवांगन आ. रंगलाल देवांगन गांधी चौक के पास एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र का संचालन करता है। 17 मार्च की दोपहर 12 से 12.30 के मध्य युवक अपनी दुकान पर था इस दौरान उसने अपना ओप्पो कंपनी का मोबाइल दुकान की टेबल पर रखकर काम में व्यस्त था। इसी दौरान दुकान में तीन से चार ग्राहक आए हुए थे और इनमें से ही किसी एक ने युवक का मोबाइल फोन चोरी कर लिया। काफी खोजबीन के बाद युवक ने मामले की शिकायत पुलिस से की है। पुलिस ने मामले में बीएनएस की धारा 303(2) के तहत कार्रवाई की है।

खबर संक्षेप

मांग पूरी होने तक हड़ताल पर अडिग रहेगा सचिव संघ

राजपुर। पंचायत सचिव संघ की हड़ताल सोमवार को आठवें दिन भी जारी रही। शासन के निर्देश व चेतावनी के बाद भी सचिव अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हडताल पर डटे हुए है। इस दौरान सचिव संघ ब्लॉक अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने बताया कि विधानसभा चुनाव वर्ष 2023-24 में हुए चुनाव में मोदी की गारंटी में पंचायत सचिवों को शासकीयकरण करने का वादा किया गया है। वर्ष 1995 से कार्यरत पंचायत सचिवों को शासकीयकरण की गारंटी दी गई है। इस संबंध में दिनांक जुलाई 2024 को इंडोर स्टेडियम रायपुर के सभागार में मुख्यमंत्री, विधान सभा अध्यक्ष, उपमुख्यमंत्री, मंत्री महिला बाल विकास विभाग तथा घोषणा पत्र के संयोजक सांसद दुर्ग की उपस्थिति में शासकीयकरण का आश्वासन दिया गया था। संघ को विश्वास था कि बजट सत्र में शासकीयकरण का सौगात प्रदान की जाएगी लेकिन बजट सत्र में इसका कोई जिक्र नहीं हुआ। सचिव संघ की हड़ताल तभी समाप्त होगी जब सचिवों की एक मांग शासकीयकरण पूरी होंगी। इस दौरान उपाध्यक्ष लालसाय प्रजापति, सचिव शेखर कुजूर, पूर्व ब्लाक अध्यक्ष अगस्तुस टोप्पो, कृष्णानंद तिवारी, देवीदयाल मरावी, जयपाल सिंह, कल्लू राम, सुनील तिवारी, प्रदीप जायसवाल, रामप्रसाद पैकरा, मदन राम, नोहर साय, नंदलाल यादव, रामदीन राम आदि थे।

शासकीय कार्य के लिए अधिग्रहित वाहन की चोरी, आरोपी गिरफ्तार

अंबिकापुर। खाद्य एवं औषधि प्रशासक के लिए अधिग्रहित बोलेरो वाहन की चोरी के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। महिला अधिकारी के वाहन की चोरी के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के साथ ही वाहन को बरामद किया है। कोतवाली पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार चोपड़ापारा निवासी रमिला भगत खाद्य एवं औषधी प्रशासन विभाग में औषधी नियंत्रक के पद पर पदस्थ है और वर्तमान में चोपड़ापारा टिम्बर भवन के पास किराए के मकान में निवास करती है। महिला अधिकारी को शासकीय कार्य हेतु अधिग्रहित बोलेरो वाहन क्रमांक सीजी 12 एके 8611 प्रदान किया गया है और महिला अधिकारी इसी वाहन से अपना काम करती है। 18 मार्च को महिला अधिकारी ड्यूटी से आने के बाद वाहन को रात लगभग 10.45 बजे खड़ी कर अन्दर चली गई थी। 19 मार्च को जब महिला अधिकारी ऑफिस जाने के लिए बाहर निकली तो उसकी बोलेरो वाहन मौके पर नहीं थी। ऐसे में शासकीय कार्य हेतु अधिग्रहित बोलेरो वाहन की चोरी के सम्बन्ध में उन्होंने कोतवाली पुलिस से शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले में पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज की जांच व संदेह के आधार पर गांधीनगर के भगवानपुर मंडलपारा निवासी 19 वर्षीय आनंद कुमार पन्ना आ. हबील पन्ना को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी ने पुलिस को बताया कि 18 मार्च को वह रात के समय वह चोपड़ापारा की ओर घूम रहा था उसी दौरान चोपड़ापारा मुख्य मार्ग मे बोलेरो वाहन को देखा। सुनसान का फायदा उठाकर आरोपी ने बोलेरो की चोरी कर ली और अलग अलग स्थानों पर घूम रहा था। गाड़ी का तेल खत्म होने के बाद उसने वाहन को जंगल में ही छोड़ दिया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर वाहन को बरामद करने के साथ ही आरोपी को बीएनएस की धारा 303(2) के तहत गिरफ्तार कर लिया है।

न्यायालय श्रीमान् वरिष्ठ श्रेणी, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)

प्र.नं. 199/25
व्य.वा.क्रं. 119ए/2007
पेशी दिनांक 23.04.2025

मूटो वगैरह
-:: प्रति::-
सनकेलिया वगैरह

प्रतिवादी क्रमांक 8 ममता आत्मजा अमरसाय, आयु लगभग 35 वर्ष, निवासी ग्राम हर्री, पोस्ट भुलसी, थाना व तहसील शंकरगढ़ जिला बलरामपुर छ.ग., प्रतिवादी क्रमांक 9 शकुंतला आत्मजा अमरसाय, आयु लगभग 30 वर्ष निवासी ग्राम कोरकोटपारा, पोस्ट बिलासपुर बतौली, थाना व तहसील बतौली, जिला सरगुजा (छ.ग.)

समंस

आप प्रतिवादी क्रमांक 8 एवं 9 को सूचित किया जाता है कि, वादीगण द्वारा आप प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्वत्व घोषणार्थ स्थायी निषेधाज्ञा, बटवारा एवं कब्जा प्राप्ति हेतु वाद योजित किया गया है, जिसकी आगामी सुनवाई तिथि 23.04.2025 को नियत है।

आप प्रतिवादी क्रमांक 8 एवं 9 को सूचित किया जाता है कि, दिनांक 23.04.2025 को आप स्वतः अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें, अन्यथा पेशी दिनांक के पश्चात आप प्रतिवादी क्रमांक 8 एवं 9 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही किया जाकर प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही प्रारंभ कर दी जावेगी। यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को सार्वजनिक अवकाश हो जाता है, तो आगामी कार्य दिवस पर प्रकरण की सुनवाई होगी।

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से आज दिनांक 21/03/2025 को जारी किया गया।

सुमित कुमार हर्षयाना
न्या.प्र.व्य. न्यायाधीश वर्ग-1
सरगुजा, अम्बिकापुर (छ.ग.)

डॉग स्क्वायड की मदद से की जा रही आरोपियों की तलाश

पंचायत सचिव के घर से जेवरात चोरी

घटना स्थल व सचिव के घर की जतांच करते पुलिसकर्मी।

हरिभूमि न्यूज ⏭ बिश्रामपुर

ग्राम पहाड़गांव में सोमवार को दिन दहाड़े अज्ञात चोरों ने पंचायत सचिव के सूने मकान में धावा बोलकर करीब एक लाख रुपए के जेवरात चोरी कर ले गए हैं। पुलिस द्वारा मामले में डॉग स्क्वायड की मदद से आरोपियों की सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी गई है।

खास बात
- घर में नहीं था परिवार का कोई सदस्य

गौरतलब है कि ग्राम पंचायत पहाड़गांव निवासी पंचायत सचिव मदन राजवाड़े सोमवार को अपने कार्य पर सुबह घर से निकल गए थे। इसके पश्चात पंचायत सचिव की पत्नी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी बच्चों को स्कूल भेजकर अपने कार्यस्थल चली गई थीं। इसी दौरान दोपहर में ही अज्ञात चोरों द्वारा घर के दरवाजे में बंद ताला को खोलकर अंदर प्रवेश कर अलमारी को टांगी से क्षतिग्रस्त करते हुए भीतर घुसे एवं सोने के एक मंगलसूत्र के अलावा चार सेट चांदी के पायल को चोरी कर साथ ले गए हैं। दोपहर में जब पंचायत सचिव मदन राजवाड़े का बड़ा पुत्र परीक्षा देकर वापस घर पहुंचा तब पाया की घर का दरवाजा खुला हुआ है जिसकी सूचना पुत्र ने तत्काल अपने माता पिता को दी। सूचना मिलते ही जयनगर थाना प्रभारी टीआई नरेंद्र कुमार सिंह, सहायक उपनिरीक्षक विशाल मिश्रा, प्रधान आरक्षक राजेंद्र एक्का व रविशंकर पांडेय दलबल के साथ मौके पर पहुंच डॉग स्क्वायड को भी साथ लेकर मौके पर पहुंच आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। चोरी की घटना से पंचायत सचिव को करीब एक लाख रुपए के नुकसान होने की बात कही जा रही है।

किसी परिचित पर परिवार को संदेह

बताया जा रहा है कि पंचायत सचिव मदन राजवाड़े के परिवार के लोगों द्वारा अंत में घर पर ताला बंद करने उपरांत चाबी को वहीं पास में एक निश्चित स्थान पर रखा जाता था, जिससे सबसे पहले घर पहुंचने वाला व्यक्ति घर का ताला खोलकर अंदर प्रवेश कर सके।ऐसी स्थिति में आशंका जताई जा रही है कि कोई परिचित व्यक्ति जो चाबी रखने के स्थान को पूर्व से जानता था, उन्हीं लोगों द्वारा ही उक्त चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है।

चार करोड़ की लागत से बना एनीकट पहले ही साल ड्राई

हरिभूमि न्यूज ⏭ प्रतापपुर

विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम रेवटी में 2024 में करोड़ों की लागत से बनाया गया ऐनीकट महज एक साल में ही सूख गया है। अधिकारियों की घोर लापरवाही के कारण यह परियोजना किसानों के किसी काम की साबित नहीं हुई तथा शो-पीस बन रह गई है। निर्माण के दौरान ग्रामीणों ने इसका पुरजोर विरोध किया था मगर अधिकारी और ठेकेदार ने सांठ-गांठ कर आनन-फानन में निर्माण को पूरा करा दिया।

- किसानों की उम्मीदों पर फिरा पानी, ग्रामीणों में आक्रोश

ग्रामीणों का कहना है कि गुणवत्ताहीन निर्माण के कारण ऐनीकट के गेट से नहीं बल्कि निचले हिस्से से पानी का रिसाव हो रहा है। घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग कर निर्माण में खानापूर्ति करने के कारण एनीकट में पानी टिक ही नहीं पा रहा है। निर्माण स्थल पर विभाग द्वारा स्वीकृत एवं व्यय राशि का बोर्ड तक नहीं लगाया गया है। ऐनीकट बनाने में कितनी राशि खर्च हुई है इसकी जानकारी ग्रामीणों को नहीं है। खेती के लिए एनीकट पर निर्भर थे लेकिन पानी न होने के कारण अब उनकी फसले सूखरही हैं। जल संकट से न केवल सिंचाई प्रभावित हो रही है, बल्कि ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है।

एनीकट निर्माण में हुई अनियमितता की जांच कराने एवं दोषी अधिकारियों व ठेकेदारों पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। इस संबंध में जल संसाधन विभाग के ईई एसबी धुर्वे ने बताया कि मामले की शिकायत मिली है। मामले में मौका जांच पर ठेकेदार के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। विभागीय कर्मचारी ने गेट को उल्टा बंद कर दिया था शायद इसकी वजह से पानी का रिसाव हुआ है।

गुमशुदा

नामः-चन्द्रीका

आत्मज छत्रपाल, जाति-बरगाह, आयु- लगभग 24 वर्ष, ग्राम पंडरीडांड़, थाना व तहसील उदयपुर, जिला सरगुजा, छ.ग. का मूल निवासी है जो दिनांक-23/08/2024 से लापता है।

किसी को दिखे तो कृपया सूचित करने का कष्ट करें। सूचना देने वाले को 10 हजार रूपए नगद इनाम दिया जाएगा।

मो.नं.:- 6267322768

सामरी विधायक के पति जिपं सदस्य सिद्धनाथ को भाजपा ने किया बाहर

अंबिकापुर। सामरी विधायक श्रीमती उद्देश्वरी पैकरा के पति और पूर्व संसदीय सचिव सिद्धनाथ पैकरा को भाजपा ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के मामले में बाहर का रास्ता दिखा दिया है। सिद्धनाथ पैकरा पर जिपं चुनाव के दौरान भाजपा द्वारा घोषित प्रत्याशी के खिलाफ अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के मामले में यह कार्रवाई की गई है। बता दें कि सामरी विधायक श्रीमती उद्देश्वरी पैकरा के पति व पूर्व संसदीय सचिव सिद्धनाथ पैकरा ने जिला पंचायत चुनाव के दौरान क्षेत्र क्रमांक 12 से भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी सुधेश कुमार सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने जिला पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में भी भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव पड़ा। जिपं बलरामपुर के लिए भाजपा द्वारा हीरामणि निकुंज को अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाया गया था जबकि बागी होकर जिपं का चुनाव लड़ने वाले सिद्धनाथ पैकरा ने भी अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी की। इस दौरान अध्यक्ष पद के लिए हीरामणि निकुंज को 9 और सिद्धनाथ पैकरा को 5 मत हासिल हुए। चुनाव में सिद्धनाथ पैकरा को हार का सामना करना पड़ा लेकिन इसके बाद उन्होंने कैबिनेट मंत्री राम विचार नेताम पर चुनाव में अपनी हार का आरोप लगाया। जिससे राजनैतिक सरगर्मी बढ़ गई थी। यही वजह है कि पार्टी हाईकमान ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ जिपं अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के मामले में सिद्धनाथ पैकरा को भाजपा ने 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने यह कार्रवाई की है। बता दें कि सिद्धनाथ पैकरा इससे पहले भाजपा से दो विधायक रह चुके है और वर्ष 2013 के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था।

- 6 साल के लिए किया गया पार्टी से निष्कासित

प्रेमी से मिलने गई किशोरी से तीन दोस्तों ने किया गैंगरेप

दरिमा। अपने नाबालिग प्रेमी से मिलने गई 15 वर्षीय छात्रा के साथ तीन दोस्तों द्वारा गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। प्रेमी एवं उसके दोस्त किशोरी को धमकी देकर पांच दिनों तक अनाचार करते रहे। घटना दरिमा थाना क्षेत्र की है। पीड़िता की मां की रिपोर्ट पर पुलिस ने एक किशोर सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा है।

दरिमा थाना क्षेत्र की निवासी 15 साल की किशोरी एक चिकित्सक के घर रहकर घरेलू काम करने के साथ ही पढ़ाई करती थी। चिकित्सक परिवार की एक सदस्य ने पीड़िता की मां को होली के दूसरे दिन सूचना दी की वह रात में बिना कुछ बताए चुपके से घर के बाहर निकल जाती है तथा 2-3 घंटे बाद वापस लौटती है। उसने शंका व्यक्त की कि उसे लेने रात में कुछ लड़के पहुंचते हैं जिनके साथ वह चुपके से निकल जाती है। सूचना पर दूसरे दिन उसे लेने चिकित्सक के घर मां पहुंची तो किशोरी ने बताया कि 9 मार्च को उसका नाबालिग प्रेमी उसे लेने पहुंचा था। वह प्रेमी के साथ चली गई। इस दौरान सूनसान स्थान पर उसने शारीरिक संबंध बनाया। कुछ देर बाद उसके दोस्त सुरेन्द्र सिंह ऊर्फ मोनू (21वर्ष) एवं यशवंत सिंह उर्फ छोटू (22वर्ष) पहुंचे एवं बदनाम करने व जान से मारने की धमकी देकर बारी-बारी से अनाचार किया। प्रेमी एवं उसके दोनों दोस्त उसे धमकी देकर पांच दिनों तक बुलाकर सामूहिक अनाचार करते रहे। पीड़िता की रिपोर्ट पर बीएनएस की धारा 64(2), 70 (2), 71, 3(5) पास्को एक्ट की धारा 4,6 का अपराध पंजीबद्ध कर पुलिस आरोपी नाबालिग प्रेमी के साथ यशवंत सिंह उर्फ छोटू एवं सुरेन्द्र सिंह उर्फ मोनू को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया जहां से दो आरोपियों को जेल दाखिल किया गया।

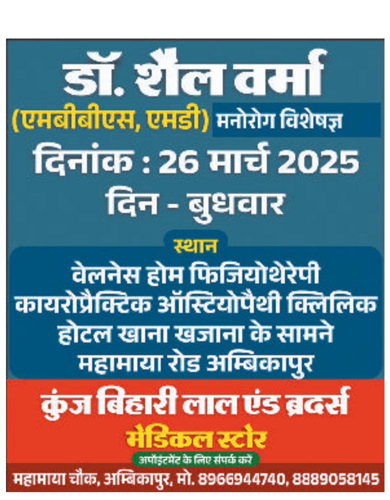

खबर संक्षेप

महिला समिति ने जरुरतमंदों को मच्छरदानी सायकल का किया वितरण

बिश्रामपुर। एसईसीएल बिश्रामपुर की शिवानी महिला समिति ने सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाते हुए गत दिवस कुमदा क्षेत्र के मैत्री भवन में कार्यक्रम का आयोजन कर खदान प्रभावित ग्राम गोविंदपुर,कसकेला, कमलापुर,करमपुर में 20 जरूरतमंद परिवारों के बीच मच्छरदानी का वितरण किया, साथ ही क्षेत्र के 5 निर्धन छात्राओं को स्कूल आने जाने के लिए सायकिल का भी वितरण किया गया है।सायकल प्राप्त करने वाली हितग्राही छात्राओं में करिश्मा, शालिनी, नीतू, प्रियंका, भारती के नाम शामिल हैं।इस दौरान उपस्थित महिलाओं को 40 फूड पैकेट का भी वितरण किया गया।शिवानी महिला समिति की अध्यक्षा ममता तिवारी ने उपस्थितजनों को सम्बोधित करते हुए कहा कि गर्मी और उमस के मौसम शुरू हो रहे हैं, ऐसे में मच्छरों के प्रकोप से होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए मच्छरदानी का उपयोग करना आवश्यक है,उन्होंने सायकल प्राप्त करने वाले छात्राओं को मन लगाकर पढ़ाई करने और रोजाना स्कूल जाने के लिए भी प्रेरित किया।इस दौरान महिला समिति की अन्य सदस्य शैलेजा ,मानिक झा,मधु सिंह, गायत्री शर्मा, देविका सिंह, स्वप्ना त्रिपाठी, राज श्री नारायण, मोनिका दास, माधुरी लहरे, डेसी सिंह व अन्य सदस्य मौजूद थे।

जामा मस्जिद में किया गया इफ्तार पार्टी का आयोजन

लखनपुर। मुस्लिम समाज द्वारा पवित्र माह रमजान का पर्व भक्ति भाव से मनाया जा रहा है। इस दौरान समाज के लोग रोजा रखने के साथ ही इबादत में लीन है। इस दौरान जगह जगह समाज के लोगों द्वारा इफ्तार पार्टी का भी आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में जामा मस्जिद लखनपुर में 23वें रमजान को जामा मस्जिद के पेश इमाम मुफ्ती खालिदुल कादरी द्वारा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए और एक साथ रोजा खोलने के साथ ही इफ्तार किया। बता दें कि रमजान के महीने में मुस्लिम समाज द्वारा 30 तक रोजा रखने के साथ ही इबादत की जाती है और ईद की नमाज के साथ इसका समापन किया जाता है। इस दौरान आसिफ नूर शानू, शमीम खान, इनायत अंसारी, जमील खान, सिराज, शाहबाज खान, अफसर, सकलेन, रंजेब, सब्बू, जियाउल, शाकिर, मुजीब खान, इरशाद खान, नुमान अंसारी मौजूद रहे।

26 से शुरू होगा 10वीं एवं 12वीं के उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन, पहले दिन दिया जाएगा प्रशिक्षण

मूल्यांकन के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने ट्रक से भेजी 58 बोरी उत्तरपुस्तिकाएं

हरिभूमि न्यूज ⏭ अम्बिकापुर

अभी माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाएं समाप्त नहीं हुई है लेकिन समय पर परीक्षा परिणाम घोषित करने के उद्देश्य से मंडल पर उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। मूल्यांकन केंद्र शासकीय बहुद्देशीय उच्चतर माध्यमिक शाला में रविवार की शाम ट्रक से 10वीं एवं 12वीं बोर्ड की विभिन्न विषयों की 50 बोरा उत्तर पुस्तिकाएं पहुंची हैं जिसकी गणना की जा रही है।

खास बातें
- मूल्यांकन के लिए विभाग ने लगाई 250 शिक्षकों की ड्यूटी
- 44 मुख्य, उप मुख्य परीक्षक रखेंगे नजर

माध्यमिक शिक्षा मण्डल की परीक्षाएं 4 अप्रैल को समाप्त होंगी लेकिन मण्डल द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इस बार भी 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन दो चरणों में किया जाएगा। मूल्यांकन का प्रथम चरण 26 अप्रैल से वहीं दूसरे चरण का मूल्यांकन 4 अप्रैल से 17 अप्रैल तक संचालित होगा। प्रथम चरण में 18 मार्च तक हुई 10वीं एवं 12वीं बोर्ड के विभिन्न विषयों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जाएगा जबकि दूसरे चरण में 18 अप्रैल के बाद की समस्त विषयों की उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी केन्द्राध्यक्षों को पत्र लिखकर 18 मार्च तक परीक्षा ड्यूटी कने वाले विषय विशेषज्ञ शिक्षकों को मूल्यांकन कार्य हेतु कार्यमुक्त करने निर्देशित किया है। उत्तरपुस्तिकाओं के गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन के लिए विभाग द्वारा 44 मुख्य एवं उपमुख्य परीक्षक नियुक्त किए हैं। मुख्य एवं उपमुख्य परीक्षकों को हर कमरे में तैनात किया जाएगा तथा इन्हीं के मार्गदर्शन में विषय विशेषज्ञ शिक्षक उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन केन्द्र प्रभारी ने सोमवार को मुख्य एवं उप मुख्य परीक्षकों को माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी मूल्याकंन संबंधी निर्देशों से अवगत कराया तथा मूल्याकंन संबंधी प्रशिक्षण दिया। मूल्यांकन के प्रथम दिवस मंडल द्वारा प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर विषय विशेषज्ञ मूल्यांकनकर्ताओं का गेट पास बनाया जाएगा। प्रथम दिवस मूल्यांकन कर्ता विषय विशेषज्ञों को 5-10 उत्तर पुस्तिकाएं ही मूल्यांकन के लिए प्रदान की जाएगी।

मुख्य एवं उप मुख्य परीक्षकों को प्रशिक्षण देते अधिकारी।

दो सत्र में होगा मूल्यांकन

मूल्यांकन केन्द्र में 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के मूल्यांकन का कार्य दो सत्रों में होगा। मूल्यांकन केन्द्र प्रभारी ने बताया कि अलग-अलग कमरों में 10वीं एवं 12वीं बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं का विषयवार मूल्यांकन किया जाएगा। प्रथम सत्र सुबह 10 बजे से 1.30 बजे तक जबकि दूसरा सत्र दोपहर 2 बजे से 5.30 तक संचालित होगा। मूल्यांकन कक्ष में प्रवेश करने के बाद मूल्यांकन सत्र समाप्त होने के बाद ही मूल्यांकनकर्ता बाहर निकल सकेंगे। उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु 250 विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है।

एक सत्र में 20 उत्तरपुस्तिका का मूल्यांकन

उत्तर पुस्तिकाओं के गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कड़े नियम बनाए हैं। प्रथम दिवस मूल्यांकन कर्ताओं को अधिकतम 5 से 10 उत्तर पुस्तिकाएं प्रदान की जाएगी जबकि आगामी दिवस से मूल्यांकनकर्ता एक सत्र में अधिकतम 20 उत्तरपुस्तिका एवं दो सत्रों में 40 उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर सकेंगे। मुख्य एवं उपमुख्य परीक्षक मूल्यांकन की नियमित समीक्षा भी करेंगे। उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन की सीमा निर्धारित होने के कारण मूल्यांकनकर्ता हर उत्तर पुस्तिका का बारीकी से आंकलन कर सकेंगे।

गेट पर रहेगा सख्त पहरा

मूल्यांकन के दौरान मल्टीपरपज हायर सेकेण्डरी स्कूल के गेट पर कड़ा पहरा रहेगा। इस दौरान परिसर में पुलिस अमले के साथ ही कर्मचारी तैनात रहेंगे तथा हर आवश्यक जांच के उपरांत ही प्रवेश दिया जाएगा। इस दौरान गेट पास धारक मूल्यांकनकर्ता को ही प्रवेश दिया जाएगा। मूल्यांकन के लिए भण्डारगृह में उत्तर पुस्तिकाओं के निकालने एवं मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं को व्यवस्थित रूप से रखने के लिए भी कर्मचारियों को तैनात किया है। इस दौरान एक-एक उत्तर पुस्तिका का हिसाब रखा जाएगा तथा प्रतिदिन स्थिति से मंडल को अवगत कराया जाएगा।

चल रही है प्रक्रिया

माध्यमिक शिक्षा मंडल से मूल्यांकन के लिए उत्तर पुस्तिकाएं पहुंच गई है। विभाग द्वारा मण्डल के निर्देशानुसार मूल्यांकन की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है। मूल्यांकन 26 मार्च से प्रारम्भ होगा।

-एलपी गुप्ता, प्रभारी मूल्यांकन केन्द्र

अंशकालीन स्वीपर बैठकर लिख रहा 5वीं बोर्ड के विद्यार्थियों के पेपर

हरिभूमि न्यूज ⏭ लखनपुर

- तिरकेला के सुगाआमा प्राथमिक शाला का मामला, वीडियो वायरल

एक तरफ शासन द्वारा बच्चों की शिक्षा गुणवत्ता में सुधार के लिए 5वीं और 8वीं की परीक्षाओं को बोर्ड में तब्दील कर दिया है तो दूसरी ओर अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में परीक्षाएं पुराने ढर्रे पर संचालित की जा रही है। ऐसा ही एक मामला विकासखंड के सुगाआमा से सामने आया है जहां एक अंशकालीन स्वीपर से 5वीं के छात्र की उत्तर पुस्तिका लिखवाई जा रही थी। अब इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वहीं इस मामले में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जांच कर कार्रवाई की बात कही गई है।

बता दें कि शासन द्वारा 5वीं-8वीं की परीक्षाओं को बोर्ड की तर्ज पर संचालित किया जा रहा है। इसके साथ ही बोर्ड परीक्षाओं में नियमों का कड़ाई से पालन करने के साथ ही नकल प्रकरण पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए है लेकिन दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षकों द्वारा शासन के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। 24 मार्च को सुबह 9 बजे ग्राम पंचायत तिरकेला के आश्रित ग्राम सुगाआमा प्राथमिक शाला में भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। इस स्कूल में दो विद्यार्थियों के साथ स्कूल का अंशकालीन स्वीपर भी बैठकर छात्र का पेपर लिख रहा था। इस बात की जानकारी मिलने पर स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर इसका वीडियो बना लिया। परीक्षा में नकल का यह वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि इस दौरान स्कूल के केंद्राध्यक्ष नरेश कुमार और प्रधान पाठक सालक राम मिंज भी मौके पर मौजूद थे और उनकी उपस्थित में अंशकालीन स्वीपर मनीष मिंज दोनों विद्यार्थियों की परीक्षा लिख रहा था। जाहिर है स्कूल में बच्चों की पढाई शून्य रही और अब अपनी शाख बचाने के लिए प्रधान पाठक द्वारा इस तरह का कृत्य किया जा रहा है। इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी अशोक सिन्हा ने बताया कि मामले की शिकायत मिली है और इसकी जांच बीईओ से कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

ताइक्वांडो में संस्कार ने जीता गोल्ड, स्वर्ण ने सिल्वर मेडल

रामानुजगंज। छत्तीसगढ़ स्टेयर्स ताइक्वांडो चैम्पियनशिप में नगर के संस्कार और स्वर्ण श्रीवास्तव ने स्वर्ण व रजत पदक जीता है। प्रतियोगिता नेशनल स्पोर्ट्स प्रमोशंस ऑर्गनाइजेशन द्वारा नया रायपुर में आयोजित की गई थी। संस्कार और स्वर्ण के माता-पिता कृषि विभाग में पदस्थ है, जबकि उनके दादा गोपाल प्रसाद श्रीवास्तव सेवानिवृत्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी हैं। उनकी मेहनत और समर्पण ने साबित कर दिया कि निरंतर अभ्यास और आत्मविश्वास से हर लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।

घर से गांजा की बिक्री कर रही महिला गिरफ्तार

अंबिकापुर। लखनपुर पुलिस ने गांजा बिक्री के मामले में महिला को गिरफ्तार किया है। महिला गांजा कली की पुड़िया बनाकर बिक्री कर रही थी। बताया जा रहा है कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि लखनपुर के वार्ड क्रमांक 12 निवासी महेश्वरी महंत नामक महिला अपने घर से गांजा की बिक्री कर रही है। सूचना पर पुलिस द्वारा दबिश देकर 45 वर्सिया महेश्वरी महंत पति रामेश्वर दास को हिरासत में लेकर घर की तलाशी ली। इस दौरान महिला के घर के परछी में स्टील के परात में रखा हुआ 72 पुड़यि में गांजा कली बरामद किया। जब्त गांजा की कीमत 72 सौ रूपए है। पुलिस ने आरोपी महिला को धारा 20(बी) एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी लखनपुर प्रशिक्षु आईपीएस मयंक मिश्रा, उनि कृष्णा यादव, सउनि निर्मला कश्यप, प्रधान आरक्षक पन्ना लाल, सुरजीत कोरी, पीताम्बर सिंह, महिला आरक्षक मानिता तिग्गा, आरक्षक दशरथ राजवाड़े, चित्रसेन प्रधान शामिल रहे।

जिम ट्रेनर पर हथियारों से जानलेवा हमला, अपराध दर्ज

- वाहन में की तोड़फोड़, पुलिस ने दर्ज किया अपराध

अंबिकापुर। शहर के बीच अग्रसेन चौक पर जिम ट्रेनर पर हमला और वाहन में तोड़फोड़ करने के मामले में पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया है। गैंगवार जैसी घटना में आरोपियों ने जिम ट्रेनर पर रात के समय जानलेवा हमला किया था। बड़ी बात यह है कि युवक पर हमला करने वाला आरोपी जिला बदर है और इसके बाद भी वह शहर में बेखौफ होकर उत्पात मचा रहा है।

बता दें कि शहर के रिंग रोड संत गहिरा गुरु आश्रम के समीप रहने वाला 23 वर्षीय मोनू साहू आ. स्व. नरेश साहू अग्रसेन चौक के पास संचालित 24 फिटनेस जिम में ट्रेनर का काम करता है। युवक की शिकायत है कि 22 मार्च की रात लगभग 9 बजे वह काम खत्म होने के बाद जिम के बाहर खड़ी स्कोर्पियो वाहन क्रमांक सीजी 15 डीजेड 9432 में ड्राइवर सीट पर बैठा हुआ था। इस दौरान सुशांत सिंह उर्फ अंशु कार का दरवाजा खोलकर अंदर घुस गया और कार में ही उसे जान से मारने की नीयत से चाकू से वार किया। इस दौरान मोनू साहू ने बचने के अपना हाथ ऊपर किया तो चाकू से उसका हाथ कट गया। इस दौरान वह अपनी जान बचाकर जिम की ओर भागने लगा तो गाडी के बाहर ललीत सोनी लोहे के रॉड से और लल्ला यादव व सत्यम सिंह ने फाईटर से हमला कर दिया। इसके साथ ही नवनीत तिवारी, मुकेश यादव, प्रेम मराठा, निकेत चौधरी सहित अन्य स्टम्प लोहे की रॉड व बेल्ट, फाईटर धारदार हथियार लेकर उसे मानने के लिए दौडाने लगे। इस दौरान युवक किसी तरह भागकर जिम के अन्दर चला गया और अपने आप को चेंजिंग रूम में बंद कर लिया। इस दौरान आरोपियों ने जिम के अंदर तक पिछा किया जमकर गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इतना ही नहीं जब युवक बाहर नहीं निकला तो उन्होंने युवक की स्कोर्पियो वाहन में जमकर तोड़फोड़ की जिससे युवक का वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। मोनू साहू की शिकायत पर पुलिस ने सुशांत सिंह, लल्ला यादव, ललित सोनी, प्रेम मराठा, निकेत चौधरी, मुकेश यादव, शिवम सिंह, सत्यम सिंह, नवनीत तिवारी, राजवीर सिरका व अन्य के खिलाफ बीएनएस की धारा 109, 190, 191(2), 191(3), 296, 351(3) के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।

लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल की जांच हेतु ननि आयुक्त ने गठित की टीम

हरिभूमि न्यूज ⏭ अम्बिकापुर

- संभागायुक्त से की गई थी आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा शिकायत

शहर के गुदरी बाजार स्थित लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल के नियम विरुद्ध निर्माण व संचालन को लेकर की गई शिकायत के मामले में नगर निगम आयुक्त ने जांच टीम का गठन कर दिया है। ननि की टीम निर्माण के लिए मिले भवन अनुज्ञा समेत अन्य दस्तावेजों की जांच करेगी। बता दें के गुदरी बाजार चौक विजय मार्ग स्थित लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल के निर्माण के सम्बन्ध में आरटीआई कार्यकर्ता व अधिवक्ता डॉ. डीके सोनी द्वारा संभागायुक्त से शिकायत की गई थी। डीके सोनी द्वारा हॉस्पिटल का संचालन नियम विपरीत करने तथा हॉस्पिटल निर्माण हेतु पास नक्शा के विपरीत निर्माण करने, आवासीय को व्यावसायिक उपयोग में लाने के संबंध की गई शिकायत के बाद संभागायुक्त ने जांच के आदेश दिए थे। उन्होंने बताया कि गुदरी चौक विजय मार्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 1141/17 रकबा 0.06 हेक्टेयर 1/2 एकड़ भूमि श्रीमती सुनीता खरे पत्नी सुरेश खरे के नाम से नजूल भूमि है।

उक्त भूमि को श्रीमती सुनीता खरे के द्वारा रामकुमार वर्मा से 16 सितम्बर 2021 को खरीदा गया था। उक्त भूमि पर आवासीय निर्माण हेतु नगर निगम द्वारा भवन अनुज्ञा पत्र जारी किया गया जिसके अनुसार भूखंड के बाहर छज्जा, बालकनी के बाहर न निकाले, गंदा पानी निकाल व्यवस्था, निगम नाली तक स्वयं के खर्चे से करना, भूखंड सड़क के मध्य सामने 6 मीटर छोड़कर करना, सेट वैक्स छोड़ें सामने 43.94 मीटर, पीछे 3 मीटर, बाजु 1.52 मीटर, दुसरे बाजु 0 मीटर का लेख किया गया है। इसके अलावा कुल निर्माण क्षेत्रफल भूतल तथा प्रत्येक पर भूतल 18.43, प्रथम तल 147.59, द्वितीय तल 147.59 वर्ग मीटर में कमर्शियल भवन निर्माण से अधिक ना हो, भवन ऊंचाई 9.45 मीटर से अधिक ना हो, व फर्शी क्षेत्र 1.75 से अधिक ना हो इसके अलावा छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम 1984 के नियम 64 के अनुसार प्रति 100 वर्ग मीटर में प्रति वृक्ष के दर से वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा साथ ही साथ भवन निर्माण अनुज्ञा में यह भी लेख किया गया है कि प्रस्तावित सड़क चौड़ाई में आने वाले भाग को यातायात हेतु सड़क के लेवल पर रखे चबूतरा का कोई भी निर्माण न करें और रेन वाटर हार्वेस्टिंग भूमि विकास नियम 78 के अनुसार प्रावधानों का पालन करना भी अनिवार्य होगा।

उन्होंने बताया कि भवन निर्माण के दौरान अनुज्ञा पत्र के नियम शर्तों का उल्लंघन किया गया। भवन अनुज्ञा आवासीय निर्माण के लिए और व्यावसायिक अनुमति प्रदान नहीं की गई थी लेकिन अवैध तरीके से भवन का निर्माण का व्यावसायिक उपयोग हॉस्पिटल का संचालन किया जा रहा है जो कि नियम विपरीत है। इसी मामले में जांच हेतु नगर निगम आयुक्त द्वारा टीम का गठन किया गया है जिसमें राजेश कुमार राम भवन अधिकारी, प्रदीप पैकरा सहायक अभियंता, श्रीमती प्रियंका पटेल, रत्नेश कंवर, प्रेम दुबे उप अभियंता नगर पालिका निगम अंबिकापुर को निर्देशित किया गया है कि उक्त भवन की जांच कर जांच प्रतिवेदन अभिमत सहित 7 दिवस के अंदर प्रस्तुत करें।

एसईसीएल के 18 माइनिंग सरदारों को बिश्रामपुर क्षेत्र में पदस्थापना

बिश्रामपुर। एसईसीएल स्तर पर निकली माइनिंग सरदारों की भर्ती के बाद परीक्षा में सफल रहे 302 अभ्यर्थियों की नवीन पदस्थापना आदेश कंपनी मुख्यालय से जारी किए गए हैं, इनमें से 18 माइनिंग सरदारों की पोस्टिंग बिश्रामपुर क्षेत्र में दी गई है।क्षेत्रीय प्रबंधन ने ज्वाइनिंग होने के बाद सभी की खदानवार पोस्टिंग आदेश आज सोमवार को जारी कर दिया है।इसमें विवेक कुमार, राजेश मंडल, घनश्याम यादव, रूपेश कुमार,मंतोष कुमार, रंजीत कुमार साव को गायत्री भूमिगत खदान में पोस्टिंग दी है, जगेश्वर प्रसाद, विकास कुमार, अनिल कुमार,रोशन कुमार, गोविंद भगत, पंकज कुमार मंडल को रेहर भूमिगत खदान, अभिषेक कुमार, नेहरू, राहुल कुमार मुंडा को केतकी भूमिगत खदान एवं मार्शल हेम्ब्रम, जगजीवन,सूरज कुमार बलरामपुर खदान में पोस्टिंग दी गई है।उक्त पदस्थापना आदेश क्षेत्रीय कार्मिक प्रबन्धक के हस्ताक्षर से सोमवार 24 मार्च को जारी किया गया है।